

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ0ग0)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

// सूचना //

क्रमांक—09 / भर्ती समिति / 2025

महासमुन्द, दिनांक 28.01.2025

जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0) के अन्तर्गत रिक्त वाहन चालक की भर्ती के लिए कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

परीक्षा कार्यक्रम

| पद नाम | परीक्षा का नाम | परीक्षा का दिन एवं दिनांक | परीक्षा का समय | परीक्षा स्थल |
|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| वाहन चालक | कौशल परीक्षा | 13.02.2025 गुरुवार | दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक | जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द |

टीप :-

1. कौशल परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थी परीक्षा तिथि को दोपहर 12 बजे के पूर्व अपना प्रवेश पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, महासमुन्द (छ.ग.) में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटोग्राफस एवं आईडी प्रुफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। दस्तावेज सत्यापन उपरान्त ही कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
2. कौशल परीक्षा हेतु पात्र पाये गये अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित होवे। उपस्थित नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति दर्ज की जावेगी, जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

3. यदि वाहन चालक के अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा नियत तिथि को सम्पन्न नहीं हो पाती है, और स्थगित होती है, तो उक्त दिवस को ही उपस्थित अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा तिथि की जानकारी देते हुए, परीक्षा कार्यक्रम, जिला न्यायालय के वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चर्चा किया जावेगा ।
4. कौशल परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थी परीक्षा तिथि दिनांक 13.02.2025 दिन गुरुवार को दस्तावेज सत्यापन हेतु दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जावे ।

सही/-
अध्यक्ष
भर्ती चयन समिति
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
महासमुन्द (छ.ग.)